संख्या-20/2015/775/60-2-15-2/3(7)/07

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्री-स्कूल किटस के क्रय हेतु धनराशि पी.एल.ए. में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1303/बा.वि.परि./प्री-स्कूल किट/2014-15, दिनांक 09.03.2015 के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 02-समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपये 2,67,93,34 हजार (रूपये दो अरब सड़सठ करोड़ तिरानब्बे लाख चौतीस हजार मात्र) में अन्य कार्यों के अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्री-स्कूल किटस के क्रय हेतु रूपये 53,14,98 हजार की धनराशि भी सम्मिलित है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्री-स्कूल किट की आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

2. अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 योजना के अधीन 02-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय से प्री-स्कूल किट क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में व्यवस्थित रूपये 53,14,98 हजार के सापेक्ष रूपये 52,94,84,886/- (रूपये बावन करोड़ चौरानब्बे लाख चौरासी हजार आठ सौ छियासी मात्र) की धनराशि उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार 30.09.2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-02-समन्वित बाल विकास योजना (के.90/रा.10-के.+रा.)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-616/दस-2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-20/2015/775(1)/60-2-15-2/3(7)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 ।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ राज्य योजना आयोग-1।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in